

समाहरणालय, बक्सर
(आपदा शाखा)

पत्रांक/आ0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बक्सर एवं डुमरौव।
सभी अंचल अधिकारी, बक्सर जिला।

बक्सर, दिनांक / /2018

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्यशीर्ष- 01-पुनर्वास, लघु शीर्ष- 200-अन्य राहत उपाय उपशीर्ष- 003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय, यूनिट कोड- 35-01-नगद/वस्तु, विपत्र कोड- 39-2235012000003 मद में कुल 50,000/- (पच्चास हजार) रुपये मात्र का उपावंटन करने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक- 1/प्रा0आ0-0-3-72/2018-60/आ0प्र0 दिनांक 18.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्यशीर्ष- 01-पुनर्वास, लघु शीर्ष- 200-अन्य राहत उपाय उपशीर्ष- 003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय, यूनिट कोड- 35-01-नगद/वस्तु, विपत्र कोड- 39-2235012000003 मद में कुल 50,000/- (पच्चास हजार) रुपये निम्न शर्तों के तहत निम्नवत आपको उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
1	अंचल अधिकारी, बक्सर	0.00	4000.00	4000.00
2	अंचल अधिकारी, चौसा	0.00	3000.00	3000.00
3	अंचल अधिकारी, इटाही	0.00	4000.00	4000.00
4	अंचल अधिकारी, राजपुर	0.00	4000.00	4000.00
5	अंचल अधिकारी, डुमरौव	0.00	4000.00	4000.00
6	अंचल अधिकारी, सिमरी	0.00	4000.00	4000.00
7	अंचल अधिकारी, नावानगर	0.00	4000.00	4000.00
8	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	0.00	4000.00	4000.00
9	अंचल अधिकारी, चक्की	0.00	3000.00	3000.00
10	अंचल अधिकारी, केसठ	0.00	3000.00	3000.00
11	अंचल अधिकारी, चौगाई	0.00	3000.00	3000.00
12	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर	0.00	5000.00	5000.00
13	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरौव	0.00	5000.00	5000.00
कुल :-		0.00	50000.00	50000.00

(पच्चास हजार रूपया मात्र)

- 1- यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निर्गत किया जा रहा है।
- 2- इस राशि से शीतलहर की दशा में अलाव की व्यवस्था सभी शहरी/अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी। संबंधित पदाधिकारी अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखे की अलाव ऐसे स्थानों पर जलाये जहां अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं या एकत्र होते हैं। साथ ही यह ध्यान रखे की अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय, जहां अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके।
- 3- आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद इस राशि का वितरण नहीं किया जाय। अन्यथा इसके लिए निकासी व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- 4- आवंटित की गयी राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारण वश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक आवश्य भेज दिया जाय।
- 5- आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- 6- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 {वि0 (2)} दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
- 7- यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दे अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- 8- मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक.....323.....आ0दिनांक 22/12/2018.....।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 बक्सर/आई0टी, मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर